बी० ए० द्वितीय वर्ष
प्रश्न पत्र

— डॉ० कृपा शंकर यादव

→ लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार :—

(i) जीवन का अधिकार :— अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो भी विवेकपूर्ण कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसको करने का उसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है।

(ii) स्वतंत्रता का अधिकार :— प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक व्यवस्था के अनुसार अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है।

(iii) सम्पत्ति का अधिकार :— जब कोई व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने श्रम से उपयोगी बना लेता है तो उस पर उसका व्यक्तिगत अधिकार (सम्पत्ति) हो जाता है।

→ प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयाँ :—

(i) प्राकृतिक नियम का स्वरूप अस्पष्ट था।
(ii) प्राकृतिक नियम एवं उनके निर्णय को कार्यान्वित करने वाली संस्था उपलब्ध नहीं थी
(iii) प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए कोई एक व्यक्ति या संगठन उपलब्ध नहीं था।

→ उपरोक्त अधिकारों की रक्षा हेतु एवं प्राकृतिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के द्वारा सामाजिक समझौता की स्थापना की गयी।

— यह समझौता समाज के सब व्यक्तियों ने मिलकर सब व्यक्तियों के साथ किया जिससे समाज और राज्य की उत्पत्ति हुई।

— इस समझौते का उद्देश्य मानव के जीवन, स्वतंत्रता एवं सम्पत्ति की शान्ति एवं बाह्य हमलों से रक्षा करना था।

— इस समझौते में व्यक्ति ने जिन प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग किया ← स्वयं के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ करने
उसे व्यवहार में लाने एवं
उसके उल्लंघन कर्ता को दण्ड देने का अधिकार

→ समझौते की ऐतिहासिकता (Historicity of the Contract) :— लॉक के अनुसार सभी मनुष्य स्वभावतः प्राकृतिक स्थिति में होते हैं और वहाँ तक उस स्थिति में बने रहते हैं जब तक कि वे स्वयं अपने को अपनी राय से किसी राजनीतिक समाज का सदस्य नहीं बना लेते हैं।